

फर्द अहकाम

के लिये बनाम आरूफ क रूफ

नाम न्यायालय का नाम जिला न्यायालय
 केस संख्या 170/2015

2013/00311

लय
1

कथ संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	12/2/24	<p>पगावली पेशा उर्फ पार्थी मूफ अधिवक्ता अनुपरीक्षित / पार्थी व पार्थी अधिवक्ता को न्यायालय द्वारा सुनाया कि लड़के का कार आवाम नवाब गरीब का कार आवाम नवाब उ उपाय को पार्थी मूफ अधिवक्ता अनुपरीक्षित रहे। अतः पार्थी को पार्थी का ली. को. के बिना जारी हुफत पेशा के खातिर किया जाता है। पगावली पेशा उर्फ पार्थी मूफ अधिवक्ता का कार आवाम नवाब गरीब का कार आवाम नवाब उ उपाय को पार्थी मूफ अधिवक्ता अनुपरीक्षित रहे।</p>

दिनांक
व

जयपुर (द्वितीय)